



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F.320082-55/2023-2024/Admn/VMC/Sainj Kullu

14195-14196

Dated: .11.2023

कार्यालय आदेश

ईमेल/त्वरित डाक

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम सम्भाग के अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालय एनएचपीसी सैज, कुल्लू के पत्र संख्या फा. 16019/प्रशा./केविसैज/2023-24/332 दिनांक 25.10.2023 के सन्दर्भ में निम्न विवरण अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की अनुमति एतद द्वारा प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	वि.प्र.स. पद	नए प्रस्तावित सदस्य
1	अध्यक्ष	Sh. Nirmal Singh, Executive Director, PHEP-II, Sainj (HOP). <sup>1</sup>
2	अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	Sh. Ranjit Singh, GM (Machanical) NHPC PHEP-II
3	ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्	Sh. Praveen Gupta, Principal GSSS, Sainj
4	ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्	Sh. Prem Nath Singh, Principal ITI, Sainj
5	संस्कृति के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति	Sh. Aman Sood, Prof. Govt. College, Sainj
6	अभिभावक सदस्य (Male)	Sh. Kishori Lal, F/o Avinash kumar (Class X) ✓
7	अभिभावक सदस्य(Female)	Smt. Saina Devi M/o Harshit (Class X)
8	ख्याति प्राप्त स्थानीय चिकित्सक	Dr. Jyotirmay Jain, CMO
9	SC/ST प्रतिनिधि	Sh. Pradeep Srivas, GSM (Machanical), NHPC, Sainj
10	अध्यापक प्रतिनिधि	Sh. Som Dutt, PGT-(Physics)
11	सहयोजित सदस्य	Sh. S. Prasanna Babu, DM (Civil) NHPC, Sainj
12	सचिव सदस्य	Smt. Vinita Parsheera, Principal KV Sainj
13	अध्यक्ष, के.स.क.क समिति	Not Available in Kullu (H.P.)
14	तकनीकी सदस्य	Sh. Ranjan Kumar Singh, Manager (Civil), NHPC, Sainj

उपरोक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 01.08.2023 से 31.07.2026 तक रहेगा।

क्र. सं. 6, 7 एवं 10 पर नामित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। अतः इन सदस्यों का नया प्रस्ताव एक माह पूर्व भेजा जाए।

09/11/23  
(वरुण मित्र)  
उपायुक्त

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, एनएचपीसी सैज, कुल्लू।
2. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय, एनएचपीसी सैज, कुल्लू।

विशेष:-

1. केन्द्रीय विद्यालय में सर्वाधिक लम्बे समय से सेवारत शिक्षक को एक वर्ष के लिए बारी बारी से विद्यालय प्रबंधन समिति में नामित किया जाए।
2. प्राचार्य द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि को नोट कर रखा जाए तथा इसकी समाप्ति के डेढ़ महीने पूर्व इसके पुनर्गठन का प्रस्ताव के.वि.सं. की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 29 में दिए गए निर्देशानुसार बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए।